राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

राजस्थान लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, जयपुर

राजस्थान लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की स्थापना वर्ष 2004 में की गई। संस्था सोसायटी एक्ट 1958 के तहत पंजीकृत है। संस्था का 50 लाख रू. का कोरपस फण्ड है, जिसमें 25 लाख केन्द्रीय लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की हिस्सा राशि सम्मिलित है। संस्था के कुल 11 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष, प्रमुख शासन कृषि, राजस्थान सरकार तथा प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड प्रबन्ध निदेशक हैं।

संस्था के उद्देश्य

1. कृषि आधारित लघु उद्योग की स्थापना।
2. निजी निवेश को प्रोत्साहन।
3. रोजगार सृजन
4. बैंकों के मार्फत उद्यमियों को उद्यम पूंजी (Venture Capital) व डी.पी.आर हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करना।

योजना

योजना पूर्णतयाः बैंक आधारित है, जिसमें उद्यमियों को बैंक ऋण के साथ वेन्चर केपीटल सहायता प्रदान की जाती है। वेन्चर केपीटल (VCA) एक सोफ्ट लोन है, जो उद्यमी के खाते में जमा होता है तथा बैंक ऋण चुकाने के बाद स्वतः ही लघु कृषक कषि व्यापार संघ (SFAC) को वापस हो जाता है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता। परियोजनाओं की बैंक सहमति के बाद एस.एफ.ए.सी. अनुमोदित कन्सलटेन्ट (सलाहकार) से डी.पी.आर बनाई जाती है, जिसकी लागत रू.25 हजार से एक लाख रू. तक को परियोजना विकास सहायता (PDF) मद से पुनर्भरण का प्रावधान है।

वेन्चर केपीटल की गणना

(1) इक्विटी शेयर का 26 प्रतिशत (2) 50 लाख रू. में से जो भी कम हो VCA देय है। विशेष परिस्थिति में यह राशि तीन करोड़ रू. तक भी हो सकती है।

पात्र योजनायें :- परियोजनाये कृषि/उद्यानिकी आधारित फसले यथा बागवानी, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, लघु वन उपज, सुगन्धित एवं औषधीय पौधों की खेती तथा मत्स्य पालन, मूर्गी पालन व डेयरी से सम्बन्धित होनी चाहिए।

पात्र व्यक्ति :- एकल, कृषक, उत्पादक समूह, स्वय सहायता समूह, साझेदार/स्वामित्व फर्म, कम्पनी, कृषि उद्यमी, बेरोजगार कृषि स्नातक, व्यक्तिगत एवं समूह, कृषि निर्यात जोन की ईकाई।

पात्र बैंक :- जिन वित्तीय संस्थाओं में केन्द्र अथवा राज्य सरकार की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक है जैस राष्ट्रीय कृत बैक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं सहयोगी शाखायें तथा आई. डी.बी.आई, एस.आई.डी.बी.आई., नाबार्ड एन.सी.डी.सी., एक्जिम बैंक, आर.आर.बी.एस. तथा राज्य वित्त निगम आदि। इच्छुक पात्र व्यक्ति/संस्थायें, नजदीकी बैंक, अधिकृत कन्सलटेन्ट तथा राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर से सम्पर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

योजना के साथ उद्यमी राज्य सरकार/भारत सरकार की अनुदान सहायता का भी लाभ उठा सकता है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने हेतु अधिकृत कन्सलटेन्ट :-

1. निदेशक, राज्य स्तरीय कृषि प्रबन्धन संस्थान कृषि विभाग दुर्गापुरा जयपुर फोन : 0141-250346, 2721412
2. निदेशक, राजस्थान इन्सटिट्यूट ऑफ कॉपरेटिव एज्यूकेशन एण्ड मेनेजमेन्ट (राईसम) झालना डूंगरी, जयपुर फोन : 0141- 2709827, 2701349
3. निदेशक, शिक्षा निदेशालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्व विद्यालय सूरजपोल, उदयपुर फोन : 0294- 2417697, 2410138
4. निदेशक, स्कूल ऑफ बिजनसं एण्ड फाइनेंस मैनेजमेन्ट रूगटा मालवीय नगर, जयपुर फोन : 0141- 2753170, 5107906
5. दत्ता एण्ड कम्पनी, सी ए : हेड आफिस-20-बी, कान्तीनगर,बनीपार्क जयपुर 302016. फोन : 0141, 2204430, 4021256 फैक्स 0141-2204430
   e-mail : g.dutta co 83@ g mail.com

परियोजना की अर्हतायें :-

1. परियोजना, उच्च कीमती फसलों को बढ़ावा देने वाली हो।
2. उत्पादक समूहों/कृषकों को निश्चित बाजार उपलब्ध कराने वाली हो।
3. परियोजना बैंक को स्वीकार्य हो।
4. परियोजना कृषि या संबंधित क्षेत्र से हो तथा फसलोत्तर प्रबन्धन एवं मूल्य सम्बर्धन आधारित हो।

उद्यमी को वेन्चर केपीटल हेतु बैंक तथा SFAC के साथ अनुबन्ध करना होगा तथा अपनी सम्पति को मोरगेज करने की सहमति देनी होगी जो ऋण चुकाने के बाद स्वतः ही वापस हो जावेगी।

कृषि विपणन राजस्थान

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर दूरभाष: 0141–2227336 फैक्स : 0141–2227096
ई–मेल : rsamb@rajasthan.gov.in वेबसाइट : www.rsamb.rajasthan.gov.in